Form no-111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

किस्म मुकदमा ..... मू0म0 ..... सन् 127/16

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निर्णय	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
12/6/18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प [illegible] न रखने से पत्रावली आज पेश हुई । पत्रावली का राजस्व लोक अदालत केम्प में अध्यन किया पत्रावली पिछले 6 माह से भी अधिक पूरानी हो चुकी है। जबकि प्रार्थना पत्र 212 में राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 में जारी परिपत्र एवं निर्देश कमांक राज/मिसी/विधिक/98–99/प.12(10) 688–970 दिनांक 16.2.99 के बिन्दु संख्या 4 की पालना में प्रार्थना पत्र धारा 212 का 6 माह में निर्णित किये जाने के आदेशों के अनुरूप उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर कोर्ट केम्प एवं राजस्व लोक अदालत की भावना से इस प्रकार निर्णित किया जाता है। प्रकरण में दिनांक 14-10-16 को जारी स्थगन आदेश में राजस्व रेकार्ड [illegible] की यथास्थिति बनाये रखने हेतु मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र कनफर्म किया जाता है पत्रावली निर्णत होकर दफ्तर दाखिल हो।	